ायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक–17.12.19

मि.न.119 / 2019

सरकार बनाम फूलचन्द

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चर्तुभूज ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम चर्तुभुज तहसील कोटपूतली के ख0 न0 660 / 20.0है0 किस्म गै0मु0 भूमि मेंसे 1.50है0 पर फूलचन्द पुत्र बिहारीलाल जाति अहीर निवासी चर्तुभुज तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जो की कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायलान ने अपने जबाब मे कथन किया है कि गैर सायल ग्राम चर्तुभुज तहसील कोटपूतली का स्थाई निवासी है एवं कदीमी पूर्वजों के समय से ग्राम में निवास करता है गैर सायल एक अशिक्षित ग्रामीण किसान है स्वयं की खातेदारी भूमि सिवायचक से लगती हुई है गैर सायल अपनी खातेदारी भूमि पर ही काबिज है व कास्त करता आ रहा है गैर सायल सिवायचक भूमि के संबन्ध में राज्य सरकार के नियमों का पालन करेगा। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसाल फूलचन्द पुत्र बिहारीलाल जाति अहीर निवासी चर्तुभुज तहसील कोटपूतली द्वारा वाके ग्राम चर्तुभुज के खसरा नंबर 660है0 किस्म जमीन सिवायचक भूमि मेंसे 1.5है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिकमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिकमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः फूलचन्द पुत्र बिहारीलाल जाति अहीर निवासी चर्तुभुज तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम चर्तुभुज तहसील कोटपूतली के ख0 न0 660 / 20.0है0,किस्म सिवायचक मे से 1.5है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल को

तहसीलदार
कोटपूतली (जय.

उक्त आराजीयात पर बोई गई फसल जौ को निलाम कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप मे लगान राशी 4 रू. का पचास गुणा 200 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 17.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जय

वर्ष 200 0........ के रा० स० के
पृष्ठ संख्या .... पर...........
दर्ज कर दिये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली